

दिनांक

आज्ञा पत्र

29.08.23

पत्रावली प्रस्तुत वकील अपील/रेस्पो.उपस्थित
गंठासीन अधिकारी महोदय आज...5.11.23
पर है। अतः पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक...6.11.23
को पेश हो।

6.11.23

पत्रावली प्रस्तुत वकील अपील/रेस्पो.उपस्थित
गंठासीन अधिकारी महोदय आज...30.11.23
पर है। अतः पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक...30.1.24
को पेश हो।

30/1/24

पत्रावली पेश। वकील अपील को पूर्व पेशी पर हस्तावत दी गई थी कि
आगामी तिथि से पूर्व तारीख से शेष रेस्पोंडेंट्स के रजिस्टर्ड नोटिस पेश कर
अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज
कर दी जायेगी। आज दिनांक तक अपीलान्त ने रेस्पोंडेंट्स के रजिस्टर्ड नोटिस
पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलान्त अपनी अपील के प्रति गम्भीर
नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलान्त आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज
की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर
से कम होकर बाद तस्वीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

NDL
सू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प इन्चार्ज)

